

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

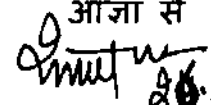
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 65 / 2020 दिनांक 27.02.2020

श्री ललित डाबी (RJ0706), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री डाबी की अनुपस्थिति में अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट(आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

26.2.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/75/2011/ 1450

दिनांक 27.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 1245 दिनांक 05.02.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री ललित डाबी (RJ0706), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर।
4. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट(पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर।
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट(आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर।


27.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार